न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 109/2016/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
तारीख दायराः 27.12.2018
अन्तर्गत धाराः 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

1 रामगोपाल आत्मज किशनलाल जाति लश्करी निवासी अभयपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा –राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ललित शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 10.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 227/2006 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान रामगोपाल बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 17.6.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडोदिया तहसील लाडपुरा मे अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी ख0 नं0 73 रकबा 1.45 है0 ख0 नं0 133 रकबा 0.95 है0, ख0 नं0 134 रकबा 0.25 है0 कुल 3 किता की 2.65 है0 स्थित है जिसके सेटलमेंट से पूर्व ख0 नं0 68 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गत रकबे के मुकाबले 0.44 है0 भूमि कम दर्ज की गई जबकि गत रकबे के मुकाबले अपीलांट की आराजी 3.99 है0 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जानी चाहिये थी। रकबा कम करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नही है तथा अपीलांट अपने कमी रकबे की पूर्ति कराने का वैधानिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को सारहीन होना मानकर दिनांक 17.6.2016 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने तथा अपीलांट की आराजी पूर्व ख0 नं0 68 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 73 रकबा 1.45 है0, ख0 नं0 133 रकबा 0.95 है0, ख0 नं0 134 रकबा 0.25 है0 कुल 3 किता की 2.65 है0 का पूर्ण रकबा 2.65 है0 के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे 3.09 है0 दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 23.3.2011 अस्पष्ट है। सेटलमेंट से पूर्व रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा दर्ज राजस्व रिकार्ड था सेटलमेंट विभाग द्वारा नये ख0 नं0 कायम कर रकबा 2.65 है0 दर्ज किया गया जो गत रकबे के मुकाबले 0.44 है0 रकबा कम दर्ज किया गया जबकि अपीलांट मौके पर रकबा पूरा है रिकार्ड मे कम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने ही जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट के कमी रकबे की पूर्ति करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने कमी रकबा किस ख0 नं0 मे बढा है नही दर्शाये जाने तथा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही दुरूस्त की जा सकती है वर्णित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निर्णय दिनांक 17.6.2016 से अस्वीकार कर खारिज किया है। प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पटवारी रिपोर्ट अस्पष्ठ है मौके पर रकबा पूरा है किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा गत रकबे के मुकाबले 0.44 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है जिसकी पूर्ति कराने का अपीलांट वैधानिक अधिकारी है। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल तथा रिपोर्ट तहसीलदार भू0 अभि0 लाडपुरा दिनांक 23.3.2011 के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम बडोदिया के ख0 नं0 68 का रकबा 19 बिस्वा 5 बिस्वा जमाबंदी सं0 2028–31 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी सं0 2065–68 अनुसार उक्त आराजी के नये ख0 नं0 कायम किये जाकर किता–3 रकबा 2.65 है0 दर्ज किया जाना मुताबिक उक्त रिपोर्ट प्रकट होता है। रिपोर्ट मे यह भी वर्णित किया गया है कि समीपवर्ती किसी भी ख0 नम्बर मे पूर्व तुलना मे कोई कमी बेशी नही हुवा है मौके पर प्रार्थी ही काबिज काश्त है तथा मौके पर रकबा सही है। ऐसी स्थिति मे उक्त रिपोर्ट से अपीलांट के इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि अपीलांट का मौके पर रकबा पूरा है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे सेटलमेंट विभाग द्वारा गत रकबे के मुकाबले कम रकबा दर्ज किया गया है। प्रकरण मे यह तथ्य विवेचनीय है कि तहसीलदार लेण्ड होल्डर होता है तथा भूमि से संबधित समस्त रिकार्ड उससे प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, का अवलोकन कर तथ्यो का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये प्रकरण मे विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। प्रकरण मे प्रस्तुत तहसीलदार भू अभिलेख लाडपुरा की रिपोर्ट दिनांक 23.3.2011 भी अस्पष्ट है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.6.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण मे तहसीलदार भूॅ अभिलेख लाडपुरा से मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी नई/पुरानी, मिलान क्षेत्रफल इत्यिादि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः प्रकरण मे विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 10.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका स्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा